



राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)167 / नियुक्ति / संस्था / बीमा / 2022 /

दिनांक : 29-7-2022

आदेश 294

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक: प.2(2)प्र0सु0/अनु-3/2022 जयपुर, दिनांक 13.07.2022 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 में चयनित होने पर निम्नांकित 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु इस विभाग में आवंटन किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-10 का नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) 23,700/- रुपये प्रतिमाह में निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रूप से शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है :-

Sr. No.	Merit No.	Name Mr./Ms./Mrs	Father's Name	Date of Birth	Cat.	H. Cat	Sel_Cat	Appointmet Place, State Insurance and Provident Fund Dept.
1.	104	PUNEET GURJAR	GOPAL GURJAR	12-12-1998	MBC	-	A_GEN	JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT, H.O. JAIPUR
2.	120	KIRTI VARDHAN SINGH RATHORE	ANAND SINGH RATHORE	27-12-1994	GEN	-	A_GEN	JOINT DIRECTOR JAIPUR CITY, JAIPUR
3.	163	OMPRAKASH BAINDA	VINOD KUMAR BAINDA	01-07-2000	OBC	-	A_GEN	ADDITIONAL DIRECTOR (GIS), VITT BHAWAN, JAIPUR
4.	639	PRIYANKA SAINI	CHANDRA PAL MALI	07-07-1998	OBC	-	A_OBC	ADDITIONAL DIRECTOR (SYSTEM), H.O. JAIPUR
5.	1210	KOSHALYA	CHEETAR MAL BALAI	21-02-1995	SC	-	A_SC	ADDITIONAL DIRECTOR (LEGAL & TRAINING), H.O. JAIPUR
6.	1887	ARATI MEENA	MAHENDRA KUMAR MEENA	11-07-1995	ST	-	A_ST	ADDITIONAL DIRECTOR (PROVIDENT FUND), H.O. JAIPUR

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

- राज्य में कोरोना वायरस (covid-19) महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को लिखित सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
4. राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र सत्य हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित अथवा अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
9. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
11. दो वर्ष की परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 में नियमानुसार किया जायेगा।
12. चयनित अभ्यर्थी को परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


15. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रति, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, घोषणा पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र / घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों का मूल प्रति (Original Documents) से मिलान एवं सत्यापन पश्चात् ही कार्यग्रहण (Duty Joining) स्वीकार किया जावेगा तथा इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।


(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक

क्रमांक : एफ1(ए)167 / नियुक्ति / संस्था / बीमा / 2022 / 6135-60
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 29-7-2022

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक: प.2(2)प्र0सु0/अनु-3/2022 जयपुर, दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, मुख्यालय /संभाग/ जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 15 की पालना सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जावें। आप अभ्यर्थी से उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में जांच करते हुए दस्तावाजों की सत्य प्रतिलिपियां (Certified/self Attested Documents) प्राप्त करते हुए कार्यग्रहण करवाने संबंधी कार्यवाही करें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/एपीएआर सैल, मुख्यालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित चयनित कार्मिक।
10. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक।
11. सेवा पुस्तिका लिपिक संबंधित कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग राजस्थान।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/सिस्टम एनालिस्ट।


29.7.22
(डॉ. बी. सी. बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा. नि.